न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः— 55/2018 विविध
निर्णय दिनांकः— 13.06.2024
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार ॥ (आर0ए0एस0)

1. श्रवणलाल जाट पुत्र देवा जाट जाति जाट निवासी कठमाणा तहसील पीपलू जिला टोंक राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती व तरमीम नक्शा ट्रेस

निर्णय दिनांकः— 13.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 335 के आराजी ख0न0 1273/4, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1292, 1293 कुल किता 8 कुल रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके ग्राम समेलिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है। जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा करवाता चला आ रहा है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में ख०न० के नक्शे में भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा वर्णित खसरा नम्बरों का रकबा नक्शे में कम ज्यादा कर दिया जिनका उनको कोई वैधानिक अधिकार नही था उक्त वर्णित ख०न० 1276 राजस्व रिकार्ड में 12 बीघा 14 बिस्वा है मौके पर रकबा पूरा है परन्तु नक्शा ट्रेस में करीबन 12 बिस्वा कर दिया है अर्थात रिकार्ड के विपरित तरमीम कर दी गयी है जबकि मौके पर वादी शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। ख0न0 1281 की पर्चा सेटलमेन्ट के समय की गयी तरमीम को बिना किसी विधिक आदेश के राजकर्मचारियों द्वारा हटा दी गयी है, वर्तमान नक्शा ट्रेस पर मुताबिक तरमीम के अनुसार ही काबिज काश्त है। उक्त आराजी की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी पर उक्त ख0न0 की सम्पूर्ण भूमि है परन्तु राजस्व नक्शे में रकबा कम ज्यादा करने से वादी को काफी समस्याओं का सामना करना पडता है जो काबिले दुरुस्त है। उक्त तरमीम मौके एवं राजस्व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति से विपरित जाकर कर दी गयी है, जो काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है। ख0न0 1276 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में है जबकि रिकार्ड के विपरित जाकर रिकार्ड में भूमि अधिक होने के बावजूद भी नक्शे लट्टे में तरमीम कम जगह की गयी है, जो प्रथम द्रष्टया ही गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ख0न0 1281 रकबा 18 बिस्वा

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट नक्शा लट्ठा में भी 18 बिस्वा की तरमीम की गयी थी परन्तु राज कर्मचारियों द्वारा उक्त तरमीम को बिना किसी विधिक आदेश के वर्तमान नक्शे से हटा दिया गया है। जो रिकार्ड देखने से ही स्पष्ट हो जाता है पूर्व में की गयी तरमीम के अनुसार तरमीम किया जाना कानूनन न्यायोचित है।वादी ने हाल ही दिनांक 05.07.2018 को तहसीलदार फागी को तरमीम दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार महोदय मना कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत कहां इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। विवाद की विषय वस्तु श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी की और पैरोकार सरकार उपस्थित आये एवं जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे बताया की वादी सरवण पुत्र देवा जाति जाट सा. कठमाना हाल जमाबन्दी संवत 2075–2078 लगातार स्थायी सेग्रीगेशन में खाता संख्या 364 में आ.ख.न 1273/4/0.4679, 1276/3.2118, 1277/0.1012, 1278/0.1265, 1279/0.0253, 1280/0.2655, 1292/0.6449, 1293/0.7966 कुल किता 8 कुल रकबा 5.6397 है0 का रिकोर्ड खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। वादी के खातेदारी ख0न0 1276 रकबा 3.2118 है0 जो जमाबंदी में दर्ज तदनुसार ही वादी खातेदार मौके पर जमाबन्दी में दर्ज रकबा 3.2118 है० पर काबिज काश्त है जबकि नक्शा सीट में उक्त नंबर की आकृति रकबा बरारी अनुसार 0.1896 है0 (0.15बीघा) की बनी हुई है जो दूरूस्त योग्य है। ख0न0 1281 की नक्शा सीट में आकृति जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.1800 है० अनुसार नही होकर बडी बनी हेई है जो नक्शा सीट मे दुरूस्त योग्य है। वादी खातेदार श्रवणलाल को खातेदारी ख0न0 1276 की आकृति नक्शा सीट मे दर्ज खातेदारी रकबा 3.2118 है० अनुसार न होकर छोटी बनी हुई है जिसमें खातेदार वादी को कई समस्याओ का सामना करना पड़ता है जो सही प्रतीत होता है। वादी सरवनलाल की खातेदारी भूमि ख.न. 1276 की नक्शा सीट को शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है। ख0न0 1276 रकबा 3.2118 है0 (12.14बीघा) जो वादी के कब्जे काश्त में जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार मौके पर है तदनुसार नक्शा सीट में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। ख.न.1281 रकबा 0.18 बीघा (0.22760) जो रामेश्वर, लक्ष्मण वगैरह की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जिसकी रकबा बरारी करने पर उक्त आराजी का रकबा 6.02 बीघा (1.5428 है0) बनता है जो उक्त आराजी में 1.3152 है रकबा ज्यादा की आकृति शीट में बनी हुई है जो शुद्ध करने योग्य प्रतीत होती है।

लगातार..................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

पटवार हल्का समेलिया द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 के अनुसार वादी श्रवणलाल के उक्त खसरा नम्बरान के पडोस मे स्थित खसरा नं. 1273/2, 1274, 1275, 1282, 1286 व 1281 की DILRMP शीट मे अंकित तरमीम की रकबा बरारी करने पर पाया गया कि उक्त सभी नम्बरो की तरमीम जमाबन्दी मे अंकित रकबे से ज्यादा हो रखी है। वर्तमान मे लढ्ढा शीट जीर्ण–शीर्ण है। इस प्रकार वादी श्रवणलाल के खसरा नं. 1276 मे जो रकबा तरमीम मे कम पड रहा है उसकी क्षतिपूर्ति खसरा नं. 1274, 1275, 1282,. 1283, 1286 व 1281 की तरमीम मे से कम किया जाकर नियमानुसार जमाबन्दी मे अंकित रकबे अनुसार की जा सकती है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती व नक्शा ट्रेस का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 – 2074 वाके ग्राम समेलिया के खाता सं0 335 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुख्य बिन्दु लिया है कि ख0न0 1276 राजस्व रिकार्ड में 12 बीघा 14 बिस्वा है मौके पर रकबा पूरा है परन्तु नक्शा ट्रेस में करीबन 12 बिस्वा कर दिया है अर्थात रिकार्ड के विपरित तरमीम कर दी गयी है जबकि मौके पर वादी शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है व ख0न0 1281 की पर्चा सेटलमेन्ट के समय की गयी तरमीम को बिना किसी विधिक आदेश के राजकर्मचारियों द्वारा हटा दी गयी है, वर्तमान नक्शा ट्रेस पर मुताबिक तरमीम के अनुसार ही काबिज काश्त है। जिसके सम्बन्ध मे तहसीलदार फागी द्वारा अपने जबाब मे ख0न0 1276 का राजस्व रिकार्ड मे रकबा 3.2118 है0 होना बताया है तथा प्रार्थी का उपरोक्त रकबे पर काबिज काश्त है जबकि नक्शा सीट में उक्त खसरा नंबर की आकृति रकबा बरारी अनुसार 0.1896 है0 (0.15बीघा) की बनी हुई है जो दूरूस्त योग्य है व ख0न0 1281 की नक्शा सीट में आकृति जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.1800 है० अनुसार नही होकर बडी बनी हेई है जो नक्शा सीट मे दुरूस्त योग्य है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे यह भी बताया है कि वादी श्रवणलाल के उक्त खसरा नम्बरान के पडोस मे स्थित खसरा नं. 1273/2, 1274, 1275, 1282, 1286 व 1281 की DILRMP शीट मे अंकित तरमीम की रकबा बरारी करने पर पाया गया कि उक्त सभी नम्बरो की तरमीम जमाबन्दी मे अंकित रकबे से ज्यादा हो रखी है। वादी श्रवणलाल के खसरा नं. 1276 मे जो रकबा तरमीम मे कम पड रहा है

लगातार.................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

उसकी क्षतिपूर्ति खसरा नं. 1274, 1275, 1282, 1283, 1286 व 1281 की तरमीम मे से कम किया जाकर नियमानुसार जमाबन्दी मे अंकित रकबे अनुसार की जा सकती है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 335 के आराजी ख0न0 1276 कुल किता 1 कुल रकबा 12 बीघा 14 विस्वा भूमि वाके ग्राम समेलिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजी की वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम को निरस्त फरमाया जाकर मुताबिक तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 1274, 1275, 1282, 1283, 1286 व 1281 की तरमीम मे से कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते
जिला – दूदू

सत्यमेव जयते